भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1364
जिसका उत्तर शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 को दिया जाना है

अतिरिक्त विशेष फास्ट-ट्रैक न्यायालय

1364. सुश्री एस. जोतिमणि :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की यौन अपराधों से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए अतिरिक्त फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करने की कोई योजना है ;

(ख) देश में बलात्कार जैसे अपराधों से निपटने के लिए समर्पित फास्ट ट्रैक न्यायालयों की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ग) यौन अपराधों पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करने वाले फास्ट-ट्रैक न्यायालयों की राज्य-वार संख्या कितनी है ;

(घ) इन फास्ट-ट्रैक न्यायालयों में यौन अपराधों से संबंधित कितने मामले लंबित हैं और लंबित मामलों के शीघ्र समाधान के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; और

(ङ) बलात्कार जैसे अपराधों के पीड़ितों को फास्ट-ट्रैक न्यायालयों द्वारा न्याय दिलाने में दक्षता और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; और
संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ङ) : देश में त्वरित न्याय प्रदान करने के लिए त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीसीएस) सहित अधीनस्थ न्यायालयों की स्थापना करना उन राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के भीतर है, जो संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से, अपनी आवश्यकता और संसाधनों के अनुसार ऐसे न्यायालयों की स्थापना करती है । 14वें वित्त आयोग (एफसी) ने 5 वर्ष से अधिक लंबित जघन्य प्रकृति के विशिष्ट मामलों, महिलाओं, बालकों, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्तियों, आवधिक बीमारी से सकंग्रमित व्यक्तियों आदि से संबंधित सिविल मामलों और संपत्ति संबंधी मामलों के शीघ्र विचारण के लिए वर्ष 2015-2020 के दौरान 1800 त्वरित निपटान न्यायालय (एफटीसीएस) की स्थापन के लिए सिफारिश की थी । वित्त आयोग ने राज्य सरकारों से इस उद्देश्य के लिए कर न्यायमन (32% से 42%) के माध्यम से उपलब्ध संवर्धित राजकोषीय स्थान का उपयोग करने का और आग्रह किया था। संघ सरकार ने राज्य सरकारों से वित्तीय वर्ष 2015-16 से एफटीसीएस की स्थापना के लिए निधि आवंटित करने के लिए भी आग्रह किया है । उच्च न्यायालयों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, 31.12.2023 तक देश में 851 एफटीसीएस कार्यरत हैं । राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध-1** में दिए गए है।

इसके अतिरिक्त, दाण्डिक विधि (संशोधन) अधिनियम, 2018 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार ने समयबद्ध रीति में, बलात्संग और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनिमय से संबंधित लंबित मामलो के शीघ्र विचारण और निपटान के लिए अक्टूबर, 2019 से अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों (एफटीएससीएस) की स्थापना करने के लिए एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम कार्यान्वित की है। उच्च न्यायालयों द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों के अनुसार, 31.12.2023 तक, 411 अनन्य पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित 757 विशेष त्वरित निपटान न्यायालय 30 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कार्यरत हैं । 31.12.2023 तक इन न्यायालयों ने 2,14,000 से अधिक मामलों का निपटान किया है । तारीख 31.12.2023 तक संचीय निपटान और लंबितता के साथ अन्नय पोक्सो (ई-पोक्सो) न्यायालयों सहित कार्यरत विशेष त्वरित निपटान न्यायालयों की संख्या के राज्य-वार ब्यौरे **उपाबंध-2** पर हैं ।

स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, न्याय विभाग राज्य सरकारों और उच्च न्यायालय के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित कर रहा है । माननीय विधि और न्याय मंत्री के स्तर पर राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माननीय मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के माननीय मुख्य न्यायमूर्तियों को 2018 में सीआरपीसी में संशोधन द्वारा निर्धारित मामलों के निपटान के लिए समय-सीमा का पालन सुनिश्चित करने के लिए पत्र भेजे गए है । प्रभावी निगरानी और डेटा संग्रहण सुनिश्चित करने के लिए, विस्तृत जानकारी एकत्र करने और एफटीसीएस के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड बनाया गया है । एफटीएससीएस का प्रदर्शन अंतर-राज्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की एजेंडे में एक स्थायी मद भी है ।

****

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1364 जिसका उत्तर 9 फरवरी 2024 को दिया जाना है, के उत्तर में यथानिर्दिष्ट उपाबंध

उपाबंध-1

31.12.2023 तक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कार्यरत एफटीसीएस

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	कार्यरत त्वरित निपटान न्यायालय की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	22
2	अंदमान और निकोबार द्वीप	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0
4	असम	15
5	बिहार	0
6	चंडीगढ़	0
7	छत्तीसगढ	23
8	दादरा नगर और हवेली	0
9	दिल्ली	27
10	दीव और दमण	0
11	गोवा	6
12	गुजरात	54
13	हरियाणा	6

14	हिमाचल प्रदेश	**3**
15	जम्मू-कश्मीर	**8**
16	झारखंड	**36**
17	कर्नाटक	**0**
18	केरल	**0**
19	लद्दाख	**0**
20	लक्षद्वीप	**0**
21	मध्य प्रदेश	**0**
22	महाराष्ट्र	**95**
23	मणिपुर*	**6**
24	मेघालय	**0**
25	मिजोरम	**2**
26	नगालैंड	**0**
27	ओडिशा	**0**
28	पुदुचेरी	**0**
29	पंजाब	**7**
30	राजस्थान	**0**
31	सिक्किम	**2**
32	तमिलनाडु	**72**
33	तेलंगाना	**0**
34	त्रिपुरा	**3**
35	उत्तर प्रदेश	**372**
36	उत्तराखंड	**4**
37	पश्चिमी बंगाल	**88**
	कुल	**851**

*** 30.11.2023 तक**

उपाबंध-2

31.12.2023 तक एफटीएससीएस का संचयी निपटान और लंबितता के साथ ई-पोक्सो न्यायालयों सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कार्यरत एफटीएससीएस

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	कार्यरत न्यायालय		स्कीम के प्रारंभ से संचयी निपटान	संचयी लंबितता
		ई-पॉक्सो सहित एफटीएससीएस	ई-पोक्सो		
1	आंध्र प्रदेश	16	16	4083	7231
2	असम	17	17	4979	5207
3	बिहार	46	46	9939	17716
4	चंडीगढ़	1	0	244	203
5	छत्तीसगढ	15	11	4377	2264
6	दिल्ली	16	11	1503	3810
7	गोवा	1	0	44	156
8	गुजरात	35	24	10295	6338
9	हरियाणा	16	12	5342	4199
10	हिमाचल प्रदेश	6	3	1282	834
11	जम्मू-कश्मीर	4	2	151	453
12	झारखंड	22	16	5822	4486

13	कर्नाटक	31	17	8897	5414
14	केरल	54	14	16878	7401
15	मध्य प्रदेश	67	57	23613	10193
16	महाराष्ट्र	19	10	16907	4355
17	मणिपुर	2	0	127	94
18	मेघालय	5	5	382	1061
19	मिजोरम	3	1	169	89
20	नगालैंड	1	0	57	51
21	ओडिशा	44	23	11960	11060
22	पुदुचेरी	1	1	44	221
23	पंजाब	12	3	3565	1438
24	राजस्थान	45	30	13003	6122
25	तमिलनाडु	14	14	6228	4440
26	तेलंगाना	36	0	7799	8463
27	त्रिपुरा	3	1	349	242
28	उत्तराखंड	4	0	1355	908
29	उत्तर प्रदेश	218	74	55021	84778
30	पश्चिमी बंगाल	3	3	48	2948
	कुल	**757**	**411**	**214463**	**202175**

****